



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

10-11-2019
10-11-2019
10-11-2019

पत्रांक 426/
सेवा में

दि 26/04/2019

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण, वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषय - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पीडी गढवाल में किमी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.659 हे० सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

संदर्भ - भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० ०६बी०/यू०सी०पी०/०६/८७/२०१६/एस०सी०/१९६१ दिनांक १७.१२.२०१६

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.659 हे० सिविल वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

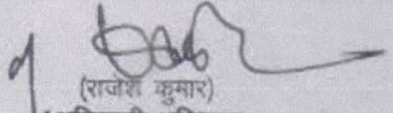
क्रम सं०	अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 11.318 हे० ग्राम - मंजोखी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत प्रदान की जायेगी।	दिनांक 02.04.2019 को जमा करवा दी गयी है। तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जा चुका है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एक०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	दिनांक 02.04.2019 को जमा करवा दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।	मान्य है। प्रपत्र संलग्न
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc) को वेब पोर्टल पर Online Generate किये गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	ऑन लाइन चालान जमरेट कर खाते में जमा करवा दिया गया है। परिदेश वेबसाइट से प्राप्त भुगतान विवरण की प्रति संलग्न।
5	सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्व हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	मान्य है। अनुपालन किया जायेगा।
6	The State Govt. will submit plantation scheme as per Ministry guideline dated 08-11-2017 in lieu of 7 ha area of proposed CA land Falling under VDF and MDF.	मान्य है। अनुपालन किया जायेगा।
7	The state Govt. will change the Eco class at Para 4(i), Part-II and revised NPV Calculation sheet accordingly. State Govt. may submit the original hard copy of CA scheme for village Manjokhi as mentioned in online and also upload the same at para 13 online Part I.	मान्य है।
विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तों का अनुपालन		
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	एन०पी०वी० की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन०पी०वी० देने के लिए बाध्य होगा।	मान्य है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण हेतु व्ययित 11.318 हे० ग्राम- मंजोखी सिविल एवं सोयम भूमि को ८ माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत	मान्य है।

	आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार कीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	मान्य है।
6	निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी।	मान्य है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	मान्य है।
8	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	मान्य है।
9	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पास में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
10	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 358 से अधिक न हो।	मान्य है।
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबे निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा।	मान्य है।
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमित लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	मान्य है।

अतः आपके संज्ञान में लाना है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक सैदान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग द्वारा किया जा चुका है।

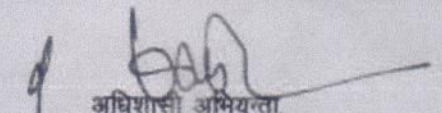
अतः आपसे अनुरोध है कि मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करें एवं मोटर मार्ग पर स्थित पेड़ों के छपान एवं कटान की कार्यवाही अपने स्तर से करवाने का कष्ट करें। जिससे मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।

संलग्न- 1. भुगतान की प्रति
2. उपरोक्तानुसार प्रपत्र।


(राजेश कुमार)
अधिशोषी अभियन्ता
दि०.....

पत्रांक 426/- वनभूमि
निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- 1- अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
4. सहायक अभियन्ता - प्रथम सिंचाई खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई० कोटद्वार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधिशोषी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

डाक नं० 257
पत्रांक.....
दिनांक 2/4/18

केवल E-Mail/Fax द्वारा

॥ कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ॥

E-Mail ID: dmgarhwal@gmail.com / PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्या: 1190 / 26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0) / 2018, दिनांक पौडी 21, 2018

आदेश

उपजिलाधिकारी लैन्सडौन ने अपने पत्र दिनांक 31.01.2018 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि०मी० 57.00 के टी० 2 (जो०डी०आर०) से मंजखोली मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु ग्राम मंजोखी पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन की नॉन जेड०ए० खतौनी खाता सं० 15 के खसरा नं० 157 रक्वा 6.153 है० मध्ये 5.983 है०, खसरा नं० 3317 रक्वा 1.920 है०, खसरा नं० 3337 रक्वा 2.891 है० एवं खसरा नं० 0.524 है० कुल रक्वा 11.318 है० भूमि,श्रेणी 9 (ख)(2) में उत्तराखण्ड सरकार के नाम झाड़ी दर्ज भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि में कोई ऐतिहासिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, कब्रस्तान, शमशानघाट, चारागाह, पनघट आदि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

2. शासनादेश संख्या: 2173 / XVII (2) / 2012-18 (120) 2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है० सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि०मी० 57.00 के टी० 2 (जो०डी०आर०) से मंजखोली मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी लैन्सडौन की आख्या एवं शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम मंजोखी पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन की नॉन जेड०ए० खतौनी खाता सं० 15 के खसरा नं० 157 रक्वा 6.153 है० मध्ये 5.983 है०, खसरा नं० 3317 रक्वा 1.920 है०, खसरा नं० 3337 रक्वा 2.891 है० एवं खसरा नं० 0.524 है० कुल रक्वा 11.318 है० भूमि,श्रेणी 9 (ख)(2) में उत्तराखण्ड सरकार के नाम झाड़ी दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार लैन्सडौन तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)

जिलाधिकारी, गढ़वाल।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, कोटद्वार।
- 5- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, लैन्सडौन।

(सुशील कुमार)

जिलाधिकारी, गढ़वाल।

पहली ग्राम - मंजोखी पहली - विचल दोहरा - 1 रा. नि. से - सिलोनी एड-लगाइये गलाय
 खोली 9 (ख) (2)

2	3	4	5	6	7	लेख
15	झाड़ी	157	306 111	6.153	उमरगा	तहसीलदार लौकडा के आदेश दि. 26-3-18 एवं
	झाड़ी	3317	1.920	वनरगा		मार्गालय जिलाधिकारी गढ़वाल आदेश सं-1194/26 -
	झाड़ी	3337	9.466	वनरगा		प्रशा. आधि. (सा. प्रशा.) / 2018 दिनांक पौषी
	झाड़ी	3352	2.891	वनरगा		मार्च 21, 2018, आदेश - जनपद पौषी गढ़वाल में
			0.524	वनरगा		प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत
						प्रस्तावित कि की 5700 के ली 21 (जो. डी. मार्ग)
						से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि.मी.) के तब
						निर्माण हेतु सड़क मंजोखी उपजिलाधिकारी लौकडा
						की आख्या सं. शासन दे. में दि. 26-3-18 दि. 26-3-18
						ग्राम - मंजोखी पहली कि. दोहरा 1 तहसील लौकडा
						की नौन जे. ए. खोली, खाल सं-15 के
						खसरा नं. 157 रकबा 6.153 हे. मरफे 5.983 हे.
						खसरा नं. 3317 रकबा 1.920 हे. खसरा नं. 3337
						रकबा 2.891 हे. खसरा नं. 3352 रकबा
						0.524 हे. कुल रकबा 11.310 हे. अतिसेणी 9 (ख)
						(2) में उत्तराखण्ड सरकार के नाम झाड़ी दर्ज है,
						अति से अति स्वतंत्र आशय से वन विभाग के
						नाम हटाने पर एव नामांतरण दि. 26-3-18 दि. 26-3-18
						खोली प्रदान की जाती है हस्ताक्षर सुशील कुमार
						जिलाधिकारी गढ़वाल,

368 95932110

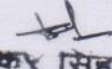
नम ल मल से की गपी 8

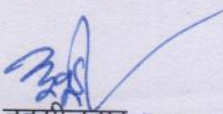
पुष्कर सिंह
 राजस्व सप्लायर
 गढ़वाल
 तहसील
 जिला
 31/5/19

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि०मी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण में उपयुक्त सिविल राज्य भूमि का वन विभाग को हस्तान्तरण
सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिला पौड़ी गढ़वाल में कि०मी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.659 है० सिविल भूमि के सापेक्ष दुगने अर्थात् 11.318 है० भूमि ग्राम मंजोखी पट्टी बिचला ढांगू-1 तहसील लैन्सडौन जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड की राज्य सिविल भूमि को विधिवत रूप से वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा। यह भूमि स्थल विशिष्ट है।

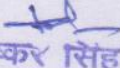

पुष्कर सिंह
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी
तहसील
जिला


तहसीलदार
लैन्सडौन


उप-जिलाधिकारी
लैन्सडौन (गढ़वाल)


जिलाधिकारी
गढ़वाल (पौड़ी)

होया प्रति स्थापित


पुष्कर सिंह
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी
तहसील
जिला

1/6 N-20A
2014

107/54

1972-1973

$$\frac{101441}{15572}$$
$$\frac{45440}{9} - \frac{41432}{9}$$
$$\frac{\text{cathodic}}{\text{anodic}} = \frac{I_{\text{cath}}}{I_{\text{an}}}$$
[illegible]

द्वारापनि स्यापि

पुस्तक संविधि
राजस्थान सामंतिरीक्षणक
परकी फा. I
लक्ष्मण
पुस्तक

पुष्कर सिंह
राजस्व उपनिरीक्षक
गट्टी
राहसील
जिला

पारे मो जना :- जनपद पंच गवारा से प्रधानमन्त्री काय लडाक योग्य २ मसगन सिरो लास २ फेकोन मोरुको हउ
 कोश - अंजोकी

रुक्म मही - किराक, हावे I		राठनि - सिरोनी		नरलीक - लमसग		गवारा														
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
१५७	६.१३५	१५	उत्तरा ७०५ नरका															५.९७९		
३३१७	१.९२०	१५	—														१	१९२०		
३३३७	२.०९१	१५	—														१	२.०९१		
३३५२	०.२५०	१५	—														१	०.५२८		
मोक			—															११.३१८		

नोट - उत्तर दिने नाममान हुक ११.३१८ हे प्रक वन किराज के पद प्र किरासोपण हउ प्रकासि ८

दुग्धा प्रति सत्यपति

पुष्कर सिंह
 राजस्व सपनिरीसक
 पट्टी
 तहसील
 जिला

पुष्कर सिंह
 राजस्व सपनिरीसक
 पट्टी
 तहसील
 जिला

ਨੰਬਰ ੨੨

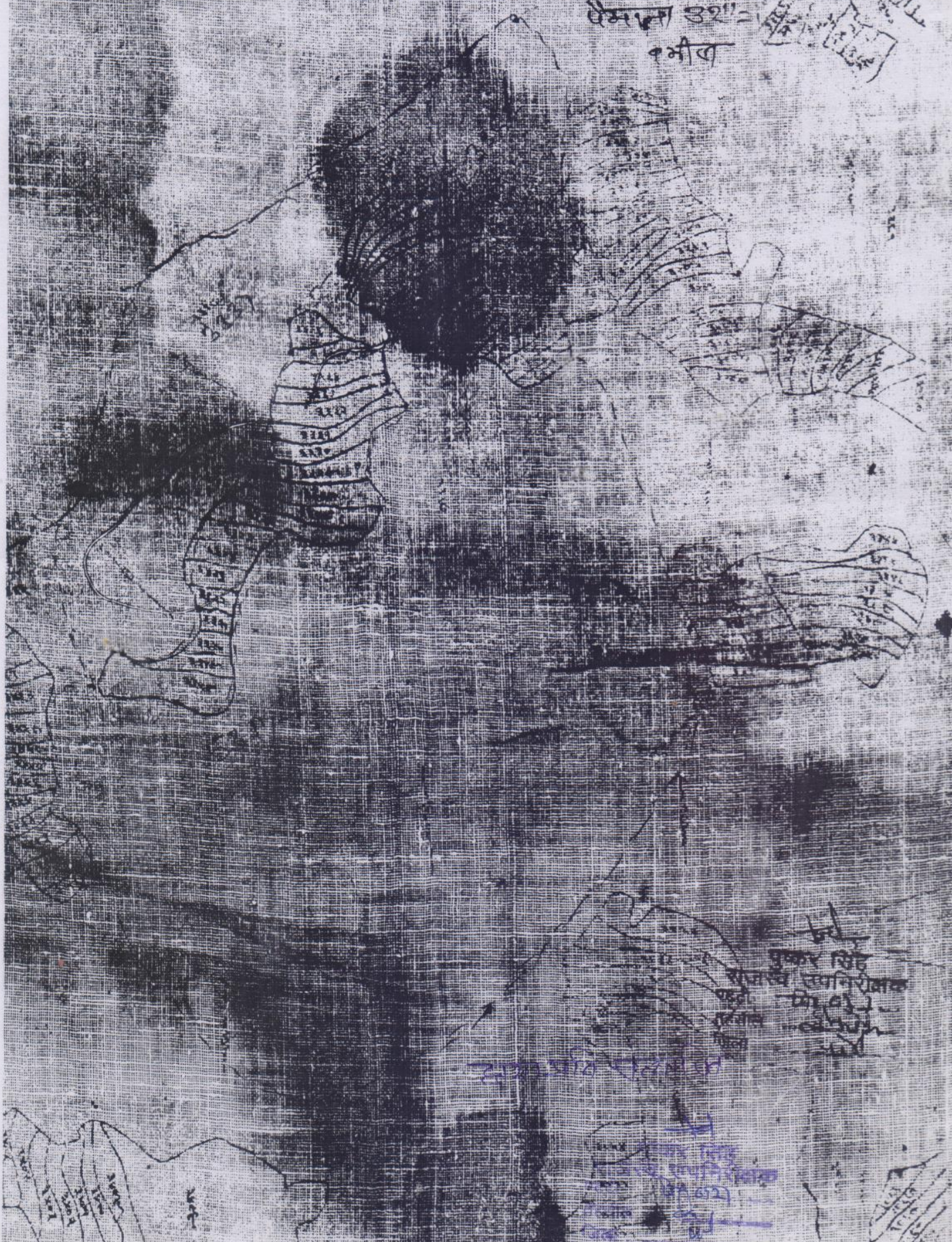
ਸਾਹ. ੨੦

ਸ਼ਾਮ ਮਥੇਰੀ ਪਈ ਕਿੰਟਰਾਂ ਰਹੀਲੀ ਲੈਲੀ ਮੈਂ ਪੰਡਾ

ਵਾਹ ਮੋਟਰਵਾਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਣਾ ਰੇਖਾ ਤੇਰੇ

ਵੈਸਾ ੩੨

੧ ਮੀਲ



ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ
ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਾਮਨਿਰਮਲ
ਪੰ. ੬੩
ਪੰ. ੬੪
ਪੰ. ੬੫

ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਾਮਨਿਰਮਲ

ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ
ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਾਮਨਿਰਮਲ
ਪੰ. ੬੩
ਪੰ. ੬੪
ਪੰ. ੬੫

154

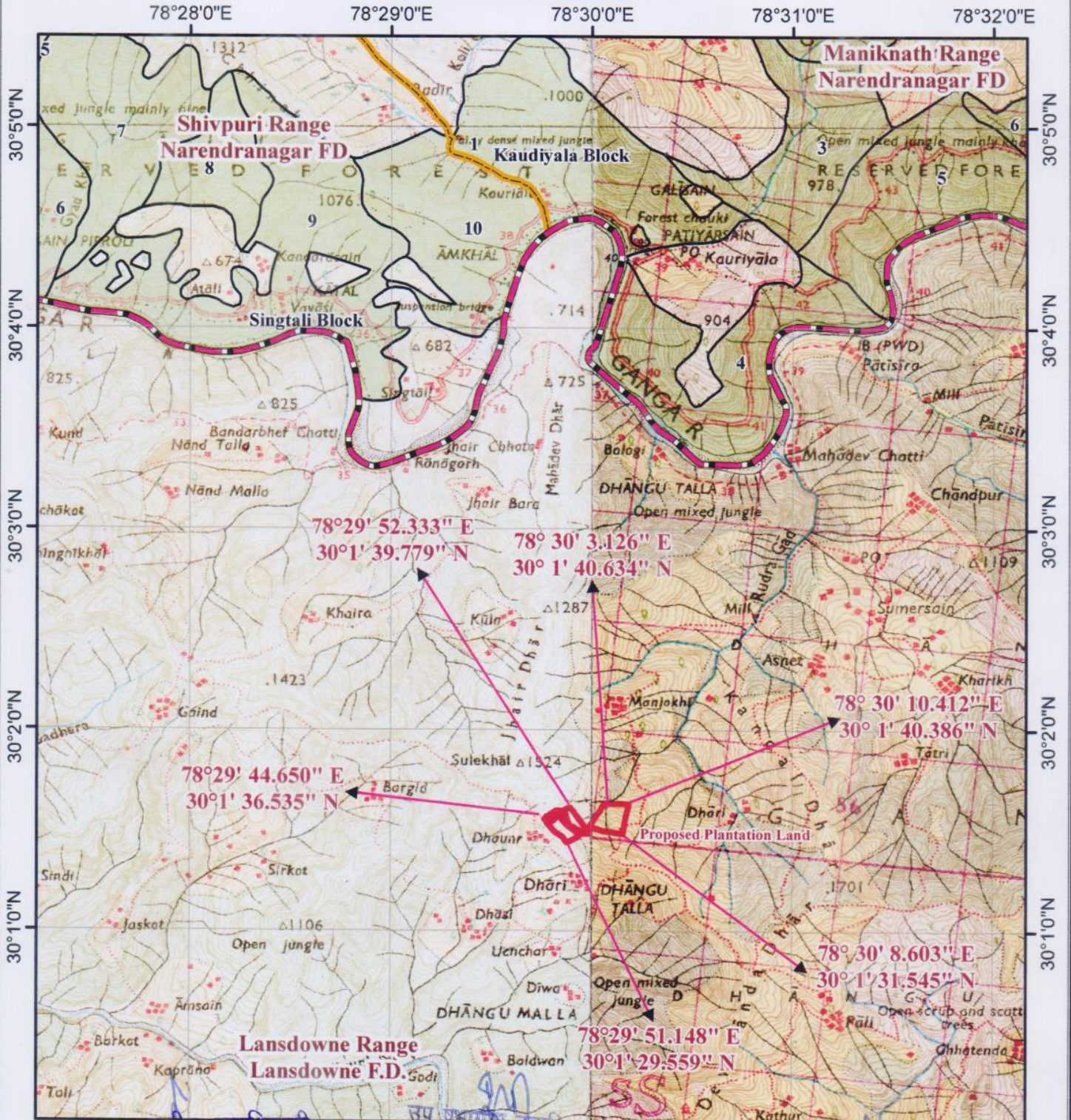
हामा पतिसुत्थापित

पुस्तक संख्या
पुस्तक संख्या
पुस्तक संख्या

पुस्तक संख्या
पुस्तक संख्या
पुस्तक संख्या

डिजिटल मैप :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि० मी० 57 के टी० -2 (ओ० डी० आर० मोटर मार्ग) - मंजोखी मोटर हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल मंजोखी सिविल सोयम (क्षे०-11.318है०)

0 0.5 1 1.5 2Km



Legend

- Proposed Plantation Land
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary
- Reserve Forest Area

प्रभागीय वनाधिकारी

संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडौन

78°29'0"E 78°30'0"E 78°31'0"E 78°32'0"E

सहायक अभियन्ता IV

सि०ख०पी०एम०जी०एस० ई०

कोटद्वार (गढ़वाल)

अधिरासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिचाई खण्ड कोटद्वार (गढ़वाल)

जिलाधिकारी

गढ़वाल

सहायक अभियन्ता

सिचाई खण्ड कोटद्वार (गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता

सिचाई खण्ड कोटद्वार (गढ़वाल)

जिला अधिकारी
5.6

जीयोरेफेरेंस मैप – जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि० मी० 57 के टी० -2 (ओ० डी० आर० मोटर मार्ग) – मंजोखी मोटर हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल मंजोखी सिविल सोयम (क्षे०-11.318है०)

0 95 190 380
M

Scale - 1:5,000

